संख्या-87/2022/1776/30-3-22-17बी/2016

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 05 जुलाई, 2022

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07-06-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार, लेखाशीर्ष-2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 115.38 लाख के सापेक्ष रू0 78.142 लाख (रू0 अठहत्तर लाख चौदह हजार दौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत बजट प्राविधान	लेखानुदान के माध्यम से प्रथम 04 माहों हेतु निर्गत धनराशि	वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि
लेखाशीर्ष-2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान			
01-वेतन	60.00	20.00	40.00
02-मजदूरी	0.60	0.20	0.40
03-मंहगाई भत्ता	25.00	7.40	17.60
04-यात्रा व्यय	0.30	0.10	0.20
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	0.50	1.00
06-अन्य भत्ते	1.00	0.33	0.67
07-मानदेय	0.05	0.017	0.033
08-कार्यालय व्यय	2.00	0.66	1.34
09-विद्युत देय	2.00	0.66	1.34
10-जलकर/जलप्रभार	0.20	0.066	0.134
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.60	0.20	0.40
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	0.33	0.67
13-टेलीफोन पर व्यय	0.40	0.135	0.265
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.20	0.066	0.134
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	7.00	2.335	4.665
38-अन्तरिम सहायता	3.60	1.20	2.4
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.18	0.06	0.12

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.166	0.334
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.166	0.334
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.70	0.235	0.465
49-चिकित्सा व्यय	2.00	0.40	1.60
51-वर्दी व्यय	0.05	0.016	0.034
55-मकान किराया भत्ता	4.00	1.33	2.67
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	0.666	1.334
योग :	**115.38**	**37.238**	**78.142**

2- आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07-06-2022 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76(एस0पी0)/86, दिनॉक 08-01-1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15 (एस0पी0)-92 दिनॉक 17-10-94, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15(एस0पी0)-92टी0सी0, दिनॉक 07-12-98, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92, दिनॉक 08-01-94, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49(एस0पी0)-2000, दिनॉक 20-12-2000 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

3- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-87/2022/1776(1)/30-3-2022, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in